न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 53/2017 दायरा दिनांक : 02.05.2017

उनवान

1— हरिनारायण आत्मज धूलीलाल जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बडबद, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2— भंवर जी उर्फ भंवरलाल पुत्र हरिनारायण जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बडबद, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3— राधेश्याम पुत्र हरिनारायण जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बडबद, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4— नीरज कुमार पुत्र हरिनारायण जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बडबद, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— कमलेश पुत्र देवलाल जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बडबद, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2— नन्दकिशोर पुत्र भंवरलाल जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बडबद, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3— राजेन्द्र पुत्र छीतर लाल जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बडबद, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4— मांगीलाल पुत्र देवलाल जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बडबद, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो—(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★ भू-प्रबन्ध

सत्यमेव जयते

5– राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बडबद, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

6– भवानीशंकर पुत्र घासी जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बडबद, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री एन. के. गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

अनुपस्थित– श्री हीरालाल नागर व श्री ऋषिराज नागर रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 3, 5, 6 तथा शेष रेस्पोडेंट भी अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 12.12.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 9/2017 निर्णय दिनांक 18.04.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांट्स ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बामनियाखेड़ी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ की आराजी खसरा नम्बर 115 रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 126 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 26 बीघा 14 बिस्वा पर अप्रार्थी रेस्पोडेंट को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने

टंकणकर्ता
लेखा
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कथन किया है कि हुकम जैर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के खाते एवं कब्जे काश्त की है। इस तथ्य को प्रार्थीगण अपीलांट ने शहादत से प्रमाणित कर दिया था। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया कि प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट्स का वादग्रस्त आराजी में कोई हक एवं अधिकार नहीं है, हित निहित नहीं है तथा कब्जा काश्त नहीं है, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राइमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरर्णीय क्षति के बिन्दु पर कोई फाईण्डिंग दिये बिना ही निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आर्डर की तारीफ में नहीं आने से निरस्तनीय है। अपीलांट ने रेस्पोडेंट को उपरोक्त भूमि मुनाफा काश्त पर काश्त के लिये नहीं दी है। रेस्पोडेंट का उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त भी नहीं है। तहरीर पर खातेदारान के हस्ताक्षर भी नहीं है तथाकथित तहरीर कूटरचित एवं बनावटी है। जिससे रेस्पोडेंट को वादग्रस्त आराजी पर कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया और अपने पक्ष के समर्थन में 2019 आर.बी.जे. पेज 97 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू.प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया था। विवादित आराजी पर वादीगण अपीलांट्स का कब्जा काश्त था। वादग्रस्त आराजी का खातेदार वादीगण अपीलांट्स ही हैं। अतः प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीयक्षति वादीगण अपीलांट्स के पक्ष में है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.04.2017 अपास्त किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलांट्स को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 115 रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 126 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 26 बीघा 14 बिस्वा पर प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट्स को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है कि वे वादीगण अपीलांट्स के खाते एवं कब्जे काश्त की उपरोक्त भूमि में न तो स्वयं हस्तक्षेप करें और न ही अपने प्रतिनिधि/ऐजेन्ट से करावें तथा वादीगण अपीलांट्स को उपरोक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करने दे।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/12

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा